न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 102/2023
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/165

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.प्रेमसिंह पुत्र प्रतापाजी 2.बालूसिंह पुत्र प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुर तहसील–कल्याणपुर व जिला बालोतरा	1.कालूसिंह पुत्र वीरमसिंह 2.सम्पतसिंह पुत्र वीरमसिंह जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री प्रकाशचंद सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3.विप्रार्थी संख्या 02 एकपक्षीय

:आदेश :

दिनांक– 06.12.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण श्री प्रेमसिंह व बालूसिंह पिसरान प्रतापाजी जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 536/179 व 537/179 मौजा बांकियावास तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 389/179 रकबा 1.9425 हैक्टयर भूमि में से बरंग पीला 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री खुशहालराम पटेल द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर खसरा संख्या 537/179 व 536/179 मे से बरंग लाल में दर्शित खसरा संख्या 182 मे पंहुच हेतु रास्ता की मांग की गई। विप्रार्थी संख्या 02 को सुनवाई का पर्यापत अवसर दिए जाने के उपंरात भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 389/179 मौजा बांकियावास में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 539/179 व 537/179 तक बरंग पीला के चौड़ा रास्ता 15 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। लेकिन विप्रार्थी येन–केन प्रकार से प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रकरण को लम्बित करने की मंशा रखते हुए है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता की मौका जांच रिपोर्ट आई है तथा रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना अंतिम विकल्प बताया गया है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण को खसरा संख्या 389/179 मे से प्रस्तावित रास्ता दिए जाने पर आपति नहीं है,लेकिन प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थी को खातेदारी खसरा संख्या 182 पंहुच पर बरंग लाल से सीधा खसरा संख्या 536/179 मे से रास्ता दिया जावें। जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तावित बरंग लाल से लगते 15 फीट चौड़ा रास्ता देने की सहमति प्रदान की गई। सहमति के समर्थन में आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए।

05. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 389/179 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा विप्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 182 की पंहुच हेतु बरंग लाल से लगते हुए खसरा संख्या 536/179 मे से 15 फीट रास्ता दिया जावे।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिभारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिभारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिभारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 537/179 व 536/179 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं तथा विप्रार्थी द्वारा भी खसरा संख्या 182 मे पंहुच हेतु खसरा संख्या 536/179 मे से रास्ता की मांग की गई,जिसे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करते हुए 15 फीट चौड़ा रास्ता देना स्वीकार किया गया,जो कि प्रस्तावित बरंग लाल से लगते हुए दिया जाना न्यायसंगत है,क्योकि खसरा संख्या 182 मे पंहुच का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जबकि कानून की स्पष्ट मंन्शा है कि हकदार को आवागमन हेतु रास्ता मिलना चाहिए,जो कि प्रार्थी पक्ष प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि सम्मत् प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ट अ बरंग लाल कुल रकबा 0.11 बीघा एवं खसरा संख्या 182 की पंहुच हेतु बरंग लाल से लगती पेन्सिल से दर्शित रास्ता ए से बी चौड़ाई 15 फीट सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर के हिसाब से प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर देय राशि वसूल की जानी प्रस्तावित है,जिसको प्रार्थीगण व विप्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश :-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम बांकियावास कला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 537/179 व 536/179 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 389/179 में से 0.11 बीघा एवं खसरा संख्या 182 में पंहुच हेतु खसरा संख्या 536/179 मे से 15 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शानुसार परिशिष्ट अ बरंग लाल एवं खसरा संख्या 536/179 मे पेन्सिल में दर्शित रास्ता भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि खसरा संख्या 389/179 भूमि का प्रतिकर 25,605/-(अक्षरे पच्चीस हजार छह सौ पांच) रूपयें की राशि विप्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा खसरा संख्या 536/179 मे से पेन्सिल में दर्शित भूमि का नाप करते हुए कुल रकबा निकाला जावें तथा प्रतिकर देय दुगुनी राशि विप्रार्थी से वसूल की जाकर प्रार्थीगण को भुगतान की जावें। तत्पश्चात राजव रेकर्ड में अंकन करे एवं मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण व विप्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पक्षकार मे से प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.24 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

06/12/2024
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा